

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
19/2024

दायर दिनांक
18.01.2024
उनवान

निर्णय दिनांक
26.02.2024

1. श्री दिनेश पुत्र श्री मांगू माली उम्र वयस्क निवासी सांगानेर तहसील व भीलवाड़ा (राज.)
2. श्री सुरेश पुत्र श्री मांगू माली उम्र वयस्क निवासी सांगानेर तहसील व भीलवाड़ा (राज.)
- प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री कालूराम पुत्र श्री मांगीलाल माली उम्र वयस्क निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. श्री उदयलाल पिता धीसा माली उम्र वयस्क निवासी चारभुजा मंदिर के पास, मालीखेड़ा, माणिक्य नगर, भीलवाड़ा
3. श्री रामेश्वर पिता देवीलाल जाट उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. श्री महेन्द्र पिता गणेश जाट उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. श्री राजेश पिता गणेश जाट उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. श्री बालु पिता श्री गंगाराम माली उम्र वयस्क निवासी अशोक नगर, मालीखेड़ा, भीलवाड़ा (राज.)
7. श्री किशन पिता श्री गंगाराम माली उम्र वयस्क निवासी अशोक नगर, मालीखेड़ा, भीलवाड़ा (राज.)
8. श्री रोशन पिता श्री गंगाराम माली उम्र वयस्क निवासी अशोक नगर, मालीखेड़ा, भीलवाड़ा (राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

-विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी रामाकान्त पाण्डेय
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

Ahadd

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा


संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा तस्वारिया प०ह० पालड़ी भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 के खाता संख्या 354 की अभिलिखित आराजियात 846/82, कुल किता 01 कुल रकबा 0.5058 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण उपस्थित नही।


वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि के सीमाचिन्ह नही होने से पत्थरगढी करवाने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 उपस्थित नही। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काशतकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा तस्वारिया प०ह० पालड़ी भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 के खाता संख्या 354 की अभिलिखित आराजियात 846/82, कुल किता 01 कुल रकबा 0.5058 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नही की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(आव्हान निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा